33

रिविजन अन्तर्गत धारा   म0प्र0भू0रा0संहिता

R47-880/96

प्रस्तुति दिनांक 22/7/96

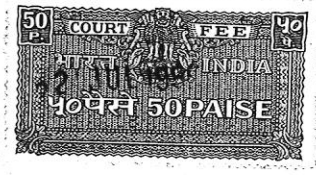

समक्ष= माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर संभाग ग्वालियर म0प्र0

1/ सुन्दरबाई बेवा केसुरामजी मोगिया
नि0 ग्राम कचलाना तह0 व जिला रतलाम म0प्र0

2/ चेनलाल पिता भागीरथजी मोगिया
नि0 गावं वरवर्णी तह0 बडनगर जिला उज्जैन म0प्र0

3/ उमराव पिता चेनलाल मोगिया
नि0 वरवर्णी तह0 बडनगर जिला उज्जैन म0प्र0

4/ मांगीलाल पिता केसुरामजी मोगिया
नि0 ग्राम कचलाना तह0 व जिला रतलाम

5/ हीरालाल पिता भागीरथजी मोगिया
नि0 ग्राम कचलाना तह0 व जिला रतलाम म0प्र0 ---निगरानीकर्ता प्रार्थीगण

विरुध्द

1/ मांगू उर्फ मांगीलाल पिता भग्गाजी भील
नि0 गावं सुत्तरेटी तह0 व जिला रतलाम म0प्र0

2/ मोणकलाल पिता नन्दाजी कुलंबी
नि0 ग्राम बदनारा तह0 व जिला रतलाम म0प्र0 -- प्रतिप्रार्थीगण

मान्यवर महोदय,

यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महो0 उज्जैन संभाग उज्जैन म0प्र0 के निगरानी प्र0क्र0 22/90-91 दिनांक 24 अप्रेल 1996 समक्ष पीठासीन अधिकारी श्री एस0सी0 पाठक अपर आयुक्त महोदय के न्यायालय से पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :-

"इस प्रकार है कि सुन्दरबाई, चेनलाल, उमराव, मांगीलाल व हिरालाल ने एक प्रार्थनापत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय रतलाम के समक्ष मांगू उर्फ मांगीलाल व माणकलाल पिता नन्दाजी के विरुध्द इस आशय का प्रस्तुत कि ग्राम ग्राम कचलानामे स्थित भूमि सर्वे नंम्बर 130 रकबा 4-180 हे0

चेनराम

--2

प्र0रा0मं0रा0संहिता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 47—पीबीआर/1996 जिला — रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आ के हस्ताक्षर
21—7—2015	प्रकरण वर्ष 1996 से लंबित है। आज आवेदकों एवं अनावेदकों की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पेशी दिनांक 29—1—2015 को आवेदक उमराव ने उपस्थित था, उक्त पेशी पर अनावेदकों को आगामी पेशी दिनांक 24—3—15 को उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड सूचना के माध्यम से तामील भेजी गई थी। पेशी दिनांक 24—3—15 को आवेदक उमराव ने बताया कि आवेदक कमांक 4 एवं अनावेदक कमांक 2 की मृत्यु हो गई है। दिनांक 24—3—15 को ही इस न्यायालय द्वारा आवेदक को अनावेदक के वारिसों की जानकारी प्रस्तुत कने के निर्देश दिये गये। आगामी पेशी दिनांक 26—5—15 को आवेदक उमराव उपस्थित हुआ उसके द्वारा मृतकों के वारिसों की जानकारी पेश न कर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें लेख किया कि अनावेदक मांगू पिता भग्गा की 8 साल पूर्व तथा अनावेदक कमांक 2 माणक पितानंदा कुलम्बी की मृत्यु 7 वर्ष पूर्व हो जाने से उचित कार्यवाही की जाये। 2/ मृत अनावेदकों की जानकारी प्रस्तुत करने की उत्तरदायित्व आवेदक का होता है। चूंकि अनावेदकों की मृत्यु 7—8 वर्ष पूर्व हो चुकी है और आवेदक द्वारा इतनी लम्बी अवधि के बाद भी वारिसों की जानकारी प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रकरण अवैट किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त आज आवेदक उमराव भी प्रकरण में उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह प्रकट होता है कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में रूचि नहीं है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया किया जाता है। अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	